न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

पत्र सं0 12/2008 अंतर्गत प्रा0पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970
सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

भोंरया पुत्र रणजीता जाति मीना निवासी रूडमल का बास तहसील दौसा(फौत)
1.1 सुखदेव पुत्र भौंरया जाति मीना निवासी रूडमल का बास तहसील दौसा
1.2 केसरी पुत्री भौंरया जाति मीना निवासी भाण्डारेज (ढाणी भाभड़्या) तहसील दौसा
1.3 बत्तो पुत्री जाति मीना निवासी ग्राम रेटा (ढाणी मोरण्ड़्या) तहसील सिकराय

..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970

उपस्थित–1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक:30.7.2025

1. संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 29.6.1970 को ग्राम रूडमल का बास तहसील दौसा के साबिक ख0नं0 183/2 रकबा 26 बीघा 12 बिस्वा में से 8 बीघा भूमि का निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र 14(4) भू–आवण्टन नियम–1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
2. प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया।
3. राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि जमाबंदी संवत 2027 से 2023 में खाता सं0 95 के अनुसार साबिक खसरा नंबर 183/2 रकबा 26 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम रूडमल का बास चरागाह दर्ज रिकार्ड थी तथा वर्तमान में भी उक्त भूमि चरागाह दर्ज है जिसका आवंटन बिना राज्य सरकार की अनुमति के एवं राज0 टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमि होने के कारण किया जाना प्रतिबंधित है। उक्त आराजी साबिक खसरा नंबर 183/2 रकबा 26 बीघा 12 बिस्वा में से 8 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 29.6.1970 को तहसीलदार दौसा द्वारा भोंरया मीना पुत्र रणजीता मीना निवासी रूडमल का बास को किया गया था, उक्त आवंटन आदेश को निरस्त किया जाता है। आवंटन नियम 13 (1) में वर्णित प्रावधानों के विज्ञप्ति बिना आवंटन सलाहकार समिति के किया गया है जो निरस्त योग्य है। उक्त आवंटित की गई भूमि चरागाह भूमि के कारण सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमियों की श्रेणियों में आती है जिसका आवंटन राज्य सरकार के अनुमति से सार्वजनिक हित में ही किया जा सकता है, परन्तु तहसीलदार दौसा द्वारा बिना अनुमति के इस प्रकार किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। प्रतिवादी द्वारा माननीय न्यायालय उपखंड अधिकारी दौसा के यहॉं अपील सं0 69/1997 दायर होने पर उक्त न्यायालय में वाद निर्णित होकर राजस्थान कृषि भूमि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम (...) के अंतर्गत वाद दायर हेतु निर्देश प्रदान किये गये है।
4. अप्रार्थीगण के बाद तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
5. हमने राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं मूल आवंटन आदेश व उपखंड अधिकारी दौसा के निर्णय का अवलोकन किया गया। साबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:01:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

खसरा नंबर 183/2 रकबा 26 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम रूडमल का बास चरागाह दर्ज रिकार्ड थी तथा वर्तमान में भी उक्त भूमि चरागाह दर्ज है जिसका आवंटन बिना राज्य सरकार की अनुमति के एवं राज0 टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमि होने अर्थात प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में है। आराजी साबिक खसरा नंबर 183/2 रकबा 26 बीघा 12 बिस्वा में से 8 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 29.6.1970 को तहसीलदार दौसा द्वारा भोंरया मीना पुत्र रणजीता मीना निवासी रूडमल का बास को किया गया था, तहसीलदार दौसा द्वारा बिना अनुमति के इस प्रकार किया गया आवंटन नियम विरूद्ध होने से हम प्रश्नगत आवंटन निरस्त किये जाने योग्य समझते है।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत 14(4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। साबिक खसरा नंबर 183/2 रकबा 26 बीघा 12 बिस्वा में से 8 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 29.6.1970 को तहसीलदार दौसा द्वारा भोंरया मीना पुत्र रणजीता मीना निवासी रूडमल का बास को किया गया आवंटन आदेश निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार दौसा को प्रेषित की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांकः 30 जुलाई, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:01:52 IST
Reason: SelfAttested